प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उ0प्र0,लखनऊ

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 16 अंतर्गत निदेशन एवं प्रशासन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत की जा रही धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-198/वित्त संभाग-3/नान प्लान/2022-23, दिनांक 07 जून,2022 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-16 अंतर्गत लेखाशीर्षक निदेशन एवं प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3565.61 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1675.87 लाख निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन- 03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में प्राविधानित धनराशि रू0 3565.61लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-10/2022-203-2022-2023-001/53-2099-1166-2019-10(बजट)/17, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 द्वारा रू01889.74 लाख अवमुक्त है। अत: प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि रू0 1889.74 लाख को घटाते/समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 1675.87लाख (रूपये सोलह करोड़ पचहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र) के व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि आपके निवर्तन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/ समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। धनराशि का व्यय निर्धारित प्रक्रिया एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन लेते हुए ही किया जाय।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त - पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022 /बी-1-454/दस- 2022-231/2022, दिनांक 07जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मानक मदों में व्ययोपरान्त मदवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2404000010300(सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	01 वेतन	8,81,60,000 (रुपये आठ करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार मात्र)
2	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	03 मंहगाई भत्ता	6,12,19,000 (रुपये छह करोड़ बारह लाख उन्नीस हजार मात्र)
3	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	04 यात्रा व्यय	6,67,000 (रुपये छह लाख सड़सठ हजार मात्र)
4	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,33,000 (रुपये पांच लाख तैंतीस हजार मात्र)
5	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	06 अन्य भत्ते	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
6	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	08 कार्यालय व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
7	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	09 विद्युत देय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
8	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	10 जलकर / जल प्रभार	33,000 (रुपये तैंतीस हजार मात्र)
9	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
10	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	016	2404000010300	13	1,33,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	टेलीफोन पर व्यय	(रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
12	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
13	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4,67,000 (रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
14	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
15	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	18 प्रकाशन	1,000 (रुपये एक हजार मात्र)
16	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	42 अन्य व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
17	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	45 अवकाश यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
18	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
19	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
20	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	49 चिकित्सा व्यय	38,33,000 (रुपये अड़तीस लाख तैंतीस हजार मात्र)
21	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	51 वर्दी व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	55 मकान किराया भत्ता	86,67,000 (रुपये छियासी लाख सड़सठ हजार मात्र)
23	016	2404000010300 सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
	कुल	**16,75,87,000** **(रुपये सोलह करोड़ पचहत्तर लाख सतासी हजार मात्र)**		
महायोग		16,75,87,000 (रुपये सोलह करोड़ पचहत्तर लाख सतासी हजार मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 14/2022/ 437(1)/002-53 2099 1166 2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/,द्वितीय उ0प्र0,लखनऊ/ प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- वित्त नियन्त्रक, दुग्ध शाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, दुग्ध शाला विकास, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
8- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।